

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules Order)
Form 21C
(For use in General Election when seat is contested)


Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the Representation of the People Act, 1951.

***Election to the legislative Assembly from the 064-Thanagazi constituency in pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representative of he People Act, 1951,read with rule 64 pf the conduct of elections Rules ,1961,i declare that –**

**SH. KANTI PRASAD VILLAGE MANDARI , THANAGAZI TEH. THANAGAZI DIST.
ALWAR (Raj.)**

[sponsored by INDEPENDENT has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency .

**PLACE:-ALWAR
DATE :- 11-12-2018**


(Kailash Chand Sharma II)
Returning Officer
Assembly Constituency (064) Thanagazi
Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate
Thanagazi (Alwar)

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
064 थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, मैं मैं घोषणा करता हूँ कि
श्री कान्ति प्रसाद ग्राम - मांदरी, थानागाजी पोस्ट थानागाजी तहसील थानागाजी जिला
अलवर।

(जो निर्दलीय खड़े हुए) उपयुक्त निर्वाचन -क्षेत्र से उस एदन में स्थान भरने के लिए
सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान :- अलवर

तारीख :- 11.12.2018

(कैलाश चन्द शर्मा -द्वितीय)

रिटनिंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र- (064) थानागाजी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

थानागाजी (अलवर)